राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या 331/2025

पूनम बुनकर —अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर ग्रामीण।
4. प्रधानाचार्य, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, भानपुरा कलां, ब्लॉक जमवारामगढ़, जयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक : 15.01.2025
आदेश की दिनांक : 29.01.2025

उपस्थित —
अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप कलावानियां, अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री महिपाल खर्रा, अति. राजकीय अधिवक्ता।

समक्ष :— चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक ग्रेड—III लेवल—II (अंग्रेजी) के पद पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, भानपुराकलां, ब्लॉक जमवारामगढ़ में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 07.12.2024 (अनुलग्नक—1) पारित कर अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, दुर्गा की ढ़ाणी, जमवारामगढ़ में किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान स्थान पर अधिशेष कार्मिक नहीं है। अपीलार्थी को गलत रूप से अधिशेष होना मानते हुए स्थानांतरण किया गया है, जो उचित नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 07.12.2024 एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 23.12.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे। प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करें कि अपीलार्थी को निरन्तर वर्तमान पदस्थापित स्थान पर कार्य करने दिया जावे एवं वेतन सहित समस्त पारिणामिक लाभ दिये जावे।
3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना—पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन

कर मनन किया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को नियमानुसार अधिशेष माना जाकर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय से महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय दुर्गा की ढ़ाणी उसी ब्लॉक एवं जिले में पदस्थापन किया गया। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह अपने किस कार्मिक की सेवाएं प्रशासनिक आवश्यकताओं में किस स्थान पर प्राप्त करें। आलोच्य आदेश 07.12.2024 में हस्तक्षेप करने का कोई विधिक आधार प्रतीत नहीं होने के कारण अपील खारिज किये जाने योग्य है।

4. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम इस अपील में कोई बल होना नहीं पाते हैं। अतः अपील खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य